therefore, enjoying unintended benefit in such a conversion. Since conversion of L-Base into Chloramphenicol is a single reaction process involving simple technology and is considered not desirable in view of the long-term aim of the country to establish production of Chloramphenicol from basic stages, a price of Rs. 650.00 per kg. was fixed for L-Base to ensure that conversion of L-Base into Chloramphenicol ensures only a reasonable margin of profit to the concerned units, keeping a uniform price for indigenous production of Chloramphenicol from basic stages and for production of Chloramphenicol from L-Base.

Any surplus accruing to the State Chemicals and Pharmaceuticals Corporation of India Limited on account of the higher price allowed for L-Base than that may work out as per CC1&E's formula, would be adjusted while fixing the prices of canalised bulk drugs for the year 1978-79.

Cost-*cum*-technical examination for fixing fair price of Chloramphenicol from L-Base is also already in progress

Members of Committee on MRTP Act and Companies Act

38. SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) how many members of the Committee appointed by Government to suggest changes in MRTP Act and Companies Act are (i) Chairman, Directors, Executives and Advisors of Indian and Foreign companies, (ii) representation of minority shareholders, consumers, public sector and small industry; the names of the members along with remunerations received by them from the companies;

(b) whether Government have received any representation against the members nominated on this committee; and

(c) if so, what action has Government taken in that regard?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House shortly.

(b) The Government have not received any representation against the members nominated on the Expert Committee.

(c) Does not arise.

परिवहन की भावी आवश्यकतायें

39. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार के विचाराधीन कोई दीर्घकालिक योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेलों ने वर्ष 1988–89 तक की अवधि के लिए यात्री और माल दोनों तरह के यातायात के परिवहन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए एक दीर्घकालीन समवेत योजना बनायी है ।

(ख) इन परियोजनाओं में यह अनुमान लगाया गया है कि 1988–89 में लगभग 17500 लाख यात्रियों (अनुपनगरीय) और 3700 लाख मीटरिक टन प्रारम्भिक माल यातायात के रेल द्वारा परिवहन की मांग होगी ।

परिवहन की मांग को पूरा करने के लिए अपेक्षित पूंजी निवेश का भी पता लगाया गया है और 1975–76 की कीमतों के आधार पर 1976–77 से 1988–89 तक की योजना में कुल 9600 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश का अनुमान है ।

ताज तथा अन्य प्राचीन स्मारकों को खतरा

40. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इनका ध्यान दिनांक 20 दिसम्बर, 1977 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि यदि मथुरा तेल शोधक कारखाने को ताज के दूसरी तरफ नहीं बनाया गया और चिमनी के धुएं तथा अम्लीय धूएं को ताज की ओर किया गया तो हवा के साथ ताज दूषित हो जायेगा तथा भरतपुर पक्षी शरण-स्थल एवं प्राचीन ऐतिहासिक स्मारिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस प्रयोजन के लिए नियुक्त समिति ने क्या क्या सिफारिशें की हैं ।

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) मथुरा तेल शोधनशाला के प्रदूषण प्रभावों को कम से कम रखने के सम्बन्ध में सरकार तथा परियोजना प्राधिकारियों की सलाह देने के लिए जुलाई, 1974 में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, उसकी रिपोर्ट अब प्राप्त हो चुकी और सरकार के विचाराधीन है ।

तेल तथा गैस उत्पादन के क्षेत्र में भारत और सोवियत संघ के बीच करार

41. **श्री लक्ष्मीनारायण नायक** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा गैस के उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और सोवियत संघ के बीच 26 दिसम्बर, 1977 को किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये थे और यदि हां, तो उसका पाठ् क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि अंकलेश्वर क्षेत्र की अंतिम विकास योजना के कार्यकरण को देखने के बाद पार्टियों ने असंतोष व्यक्त किया था ; और

(ग) उपरोक्त योजना को सफल बनाने के लिए क्या निर्णय किया गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) भारत के सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक सैक्टर) में, पेट्रोलियम उद्योग के क्षेत्र में सभी भारतीय सहयोग के विकास की प्रगति के सम्बन्ध में, दिसम्बर, 1977 को रूसी प्रतिनिधि मंडल तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (ओ० एन० जी० सी०) के बीच हुए संयुक्त विचार विमर्श के अनुसार 26 दिसम्बर, 1977 को एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किये गये थे ।

प्रोटोकोल में निम्नलिखित मामलों में और सहयोग पर विचार किया गया है :—

(1) तेल तथा गैस के लिये भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा सापेक्ष महत्व वाली योजनाएं ।

(2) तेल क्षेत्रों का विकास तथा तेल का उत्पादन ।